न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं0– 148 / 2026

इसलामपुर थाना काण्ड सं0 – 12 / 2026

महेन्द्र प्रसाद .....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी

25.03.2026

अभिलेख को आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक महेन्द्र प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता सुर्यदेव कुमार विभुति द्वारा संचालित किया गया। आवेदक इसलामपुर थाना काण्ड सं0– 12 / 2026 ,दिनांक 12.03.2026 धारा– 25(1–AA), 25(1–B)(a), 26(1), 26(2), 35 आर्म्स ऐक्ट से संबंधित है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 10.01.2026 को केस के मुदई पु. अ. नि. मनोज कुमार सिंह को सुचना मिली की ग्राम आत्मा मठ स्थित विमल राम के घर के पीछे झोपड़ी में अवैध आग्नेयास्त्र फैक्ट्री संचालित हो रहा है। सुचना पर पुलिस पदाधिकारी एवं एस. टी. एफ. पटना ने मिलकर छापामारी किया तो तीन व्यक्ति देशी कट्टा आग्नेयास्त्र निर्माण करते हुए निर्माण सामग्री के साथ पकड़े गये जिनका बारी–बारी से नाम पूछने पर 1. संतोष विश्वकर्मा 2. श्री जय वर्मा 3. तीन पीस लोहे का बैरल 4. दो पीस खाली खोखा 5. लोहे का बटखरा 10 किलोग्राम का दो पीस 6. ड्रिल मशीन 7. दो पीस ग्राइन्डर इलेक्ट्रीक मशीन 8. लोहे का दो पीस वेस मशीन 9. लोहे का लाल रंग का हैन्ड ब्लोवर, रेती, छेनी, सड़सी, पत्थर, लोहे का ट्रिगर एवं अन्य सामान तथा महेन्द्र प्रसाद के पास से लावा कंपनी का कीपैड वाला मोबाईल, श्री जय वर्मा के पास से रियलमी का मोबाईल एवं संतोष विश्वकर्मा के पास से इनफिनिक्स होट 60 आई 5जी मोबाईल बरामद हुआ। आवेदक के खिलाफ उक्त घ टना के अलावे एस. टी. नं. 483 / 13 एवं एस. टी. नं. 119 / 2021 है जिसमें जमानत पर है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के यहाँ से मोबाईल के अलावे किसी भी प्रकार का कोई अवैध सामान में आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ है बल्कि एक साजिश के तहत फंसा दिया गया है। आवेदक दिनांक 11.01.2026 से हिलसा कारावास में बंद है। आवेदक को न्यायालय के आदेश के बिना कहीं भागने की संभावना नहीं है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है।

उभय पक्षों को सुना एवं विचारण न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि काण्ड दैनिकी के पारा 21 के तहत आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदक का दो आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी पर आग्नेयास्त्र फ़ैक्ट्री में काम करने का आरोप है। आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों तथा आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक महेन्द्र प्रसाद को 10,000/- रूपया एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंधपत्र दाखिल किए जाने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा